JUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
In the court of Class Case No 6-5-1-10 &f200 - Complaint of report made on Name and address of the complainant
Name parentage caste and address of accused
B 10 Ant 30 200 00 10 100 100 100 100 100 100 100
ें अंतर्गत अपराध में दोषसिद घोषित किया जाता है। 3 — अभियुक्त / अभियुक्त पर्णा <i>ि रेक्टर कुर शर्रह</i> 1055 Miv किये मोटर यान अधिनियम के अपराध
The office complaind of, and date of, its alleged commission- यह कि आप आरोपी / आरोपीगण ने दिनांक :— 27-4-16 को लगभग बजे, स्थान :— गाउँ कि आप अपने आधिपत्य के वाहन १९०७ कमांक को हर का बिना किया विद्या वाहन वाहन अनुझप्ति के चलाया। 8995 और इस प्रकार आप आरोपी / आरोपीगण ने धारा १००० अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो मेरे संज्ञान में है। तुम्हे उक्त अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार के अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार के अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार के अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार के अथवा अधिनिया चाहते हो ? विद्या अपराध करना स्वीकार के अथवा अधिन अधिन के अथवा अधिन के अथवा अधिन के
मुझे / हमें उक्त अपराध करने का तथ्य स्वेच्छापूर्वक स्वीकार है। अपराद्ध ट्वी वर्गार्थ
The office proved] if any] and in case under clause (d) clause(f) or clause(g) or subsection(i) of Section 260] the value of the property in respect of which the offence has been committed.

GRPJ 426-101-28M-11-96

-ः निर्णयः-

(आज दिनांक :- रने ०६ । ८ 2015 को घोषित)

1 - अभियुक्त/अभियुक्तगण दिने वर्ग शुवाल पिल प्रमुक्त ने ध
185 m. Y. bef मोटर यान अधिनियम के प्रावधान
के अंतर्गत बिना किसी दवाब के स्वेच्छापूर्वक अपना अपराध करना स्वीकार किया है।
2 – अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकारोक्ति के परिणाम
स्वरूप उसे / उन्हें धारा 105 M'V' DCF मोटर यान अधिनिया
के अंतर्गत अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
3 – अभियुक्त / अभियुक्त गर्ण 19 के श्राप्त को धार
185 M'V' be मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषी पाकर
1000/ /-रूपये के अर्थदण्ड़ तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडिर
किया जाता है।
4 – अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम किर
जाने पर 15—15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।
5 - प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति <u>कोटिक प्रक्रिक</u> मांक <i>MP07 MC 8995</i>
उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित क्रूर घोषित किया गया।

न्यायिक्त्माश्चिम्हरेदि प्रथम अणी श्रेणीहर गोहर, जिला-भिण्ड मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

गोंहद, जिला-भिण्ड